उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-4/147/26-1-2014-सक-1

लखनऊ : दिनांक: 13 जनवरी, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04-05-2010 के प्रस्तर-5(1) में दिये गये निर्देशों के क्रम में वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग के अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार करने हेतु निम्नवत् स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है:-

1- श्री राम गोपाल मौर्य, विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग -अध्यक्ष

2- श्री आर0डी0 कल्याण, उपसचिव, समाज कल्याण विभाग -सदस्य

3- श्री राज कुमार त्रिवेदी, अनुसचिव, समाज कल्याण विभाग -सदस्य

2- उपरोक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा समाज कल्याण विभाग में तैनात अधिकारियों को वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार कर अपनी संस्तुतियाँ बैठक की तिथि से एक सप्ताह की अवधि में वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

के0राम मोहन राव
सचिव।

पृ0सं0-4/147(1)/26-1-2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अध्यक्ष/सदस्य, स्क्रीनिंग कमेटी, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in